रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 537] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अक्तूबर 28, 1971/कार्तिक 6, 1893

No. 537] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 28, 1971/KARTIKA 6, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October 1971

S.O. 5007.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints, in addition to the officer appointed *vide* Commission's notification No. 100/CS-UP/12/71(5), dated the 27th October, 1971, the Assistant Secretary (Question), Uttar Pradesh Legislative Assembly to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-UP/12/71(1), dated the 27th October, 1971, in the performance of his functions.

[No. 100/CS-UP/12/71(6).]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1971

एस० ओ० 5007.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० स०—उ०प्र०/12/71 (5), तारीख 27 अक्तूबर, 1971 द्वारा नियुक्त आफिसरों के अतिरिक्त, सहायक सचिव (प्रश्न), उत्तर प्रदेश विधान सभा को, अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०/12/71 (1) तारीख 27 अक्तूबर, 1971 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर की, उसके कृत्यों के पालन में, सहायता करने के लिए, एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

[संख्या 100/रा० स०—उ०प्र०/12/71 (6)]

आदेश से,

ए० एन० सेन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971